न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 82 / 2013

1 हरिप्रसाद पुत्र बैजनाथ चिराणियां।
2 विनोद कुमार पुत्र बैजनाथ चिराणियां।
3 गीता देवी पत्नी बाबूलाल चिराणियां समस्त जाति अग्रवाल महाजन निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बिस्मिल्ला कथित पुत्री सुबराती जाति मुसलमान पत्नी नानगा कथित निवासिनी बड़ा मंदिर के नीचे सीकर रोड़ लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 सलाउदीन पुत्र नत्थू।
3 अलीमुदीन पुत्र नत्थू।
4 निजामुदीन पुत्र नत्थू।
5 युसुफ पुत्र नत्थू।
6 ईदी पत्नी नत्थू समस्त जाति नीलगर मुसलमान निवासीगण बड़ा मंदिर के नीचे लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 कान्ता देवी पत्नी महेश कुमार चिराणीया जाति अग्रवाल महाजन निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 भूमिधारक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ दिनांकित 23.05.2013 प्रकरण उनवानी बिस्मिल्ला बनाम हरिप्रसाद आदि मुकदमा नम्बर 48/2008 विविध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवंत भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 48/2008 मे पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादिया की ओर से विचारण न्यायालय मे एक वाद उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आराजी मे वह अब्दुल गनी के कथित पुत्र सुबराती की पुत्री होने से 1/2 भाग की खातेदार है। 32 साल पूर्व जब अब्दुल गनी की मृत्यु हुई तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता नत्थू खां ने बाला बाला राजस्व अधिकारियो से साजिश करके विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने नाम से करवा लिया जो कि अपीलांट व उसके पिता सुबराती के विरूद्व प्रारम्भ से ही प्रभावहीन, शून्य व अवैध है। उक्त नामान्तकरण संख्या 791 दिनांकित 14.01.1976 विरूद्व कानून होने से निरस्त होने योग्य है। अतं मे सहायता चाही गई कि कस्बा लक्ष्मणगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 988 व 989 के आधा हिस्सा भूमि की वादी को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदार, काश्तकार घोषित की जावे तथा इस सम्बंध मे हुए नामान्तकरण संख्या 791,2161,2288 व 2488 को वादिनी के हक अधिकारो तक निरस्त फरमाया जावे व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे। विक्रय पत्र दिनांकित 31.01.2002, 16.02.2002 व 30.03.2002 को वादी के अधिकारो तक शून्य, प्रभावहीन घोषित किया जावें। रेस्पोडेंट वादिया द्वारा वाद के साथ ही एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 988 व 989 वाके लक्ष्मणगढ़ के आधा हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने से वे स्वंय व उनके नौकर परिजन प्रतिबंधित रहे व प्रार्थिया के 1/2 हिस्से से प्रार्थिया को बेदखल करने से प्रतिबंधित रहे है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेंट का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला मान्य किया जाकर विपक्षी रेस्पोडेंट को तादौराने दावा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके विपरित चुनौतीग्रस्त आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण को भी अवैध व अनुचित रूप से वाद संख्या 87/2008 के निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया। चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही उभयपक्ष के अभिवचनो व निषेधाज्ञा संबंधी सुस्थापित सिद्वान्तों पर मनन किया गया, बल्कि यंत्रवत वादिया/रेस्पोडेंट का प्रथम दृष्टया मामला मान्य कर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया गया। चुनौतीग्रस्त आदेश वास्तव मे न्यायिक आदेश की श्रेणी में ही नहीं है। रेस्पोडेंट/वादिया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला कैसे है, चुनौतीग्रस्त आदेश में एक शब्द में भी विवेचना नहीं की गई तथा केवल मात्र यह लिख दिया गया कि प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य सबूत से आवेदन के तथ्यों की ताईद होती है, लिहाजा प्रार्थी का प्रथम दृष्टया

भूमिबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मामला सबल पाया जाता है। रिकार्ड व साक्ष्य सबूत क्या व कौन से प्रार्थिया के पक्ष मे है, यह चुनौतीग्रस्त आदेश में एक शब्द में भी अंकित नहीं है। वादिया/प्रार्थीया का कोई विचारणीय मामला ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति मे उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को प्रतिबंधित किए जाने का कोई विधिक औचित्य व आधार नहीं होते हुए भी सुयोग्य विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित कर दिया गया, जो किसी भी रूप में स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 988/1, 989 कस्बा लक्ष्मणगढ़ प्रार्थीगण रेस्पोडेंटस की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदार काश्तकार दर्ज है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त साबित है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 988/1, 989 कस्बा लक्ष्मणगढ़ प्रार्थीगण रेस्पोडेंटस की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदार काश्तकार दर्ज है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त साबित है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। हम विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर